अपील सूचना अधिकार संख्या 56/2020 (RCMS 2020/00102) प्रदीप कुमार सैन पुत्र श्री पृथ्वीराज सैन जाति नाई निवासी वार्ड नं. 08, नजदीक मालवीय पब्लिक स्कूल, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समय में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर से वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रदीप कुमार सैन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. रितु रानी पुत्री श्री ओम प्रकाश गोयल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 5 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में प्रेरक/साक्षरता सहायक के पद पर कार्यरत है कि सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) तथा व्यक्तिगत पत्रावली (पर्सनल फाईल) के प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. उक्त रितु रानी पुत्री श्री ओमप्रकाश गोयल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 05, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर की उक्त प्रेरक/साक्षरता सहायक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या थी? क्या उक्त रितुरानी की उक्त पद पर नियुक्ति हेतु कोई साक्षातकार लिया गया था? अथ्वा मैरिट बनाई गई थी? अथवा किसी प्रकार की कोई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था? संबंधित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।

3. उक्त रितु रानी पुत्री श्री ओमप्रकाश गोयल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 05, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को उक्त पद पर नियुक्ति के समय क्या विभाग द्वारा कोई सार्वजनिक सूचना अथवा भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां तो विज्ञप्ति का प्रकाशन किस समाचार पत्र में हुआ था? संबंधित समाचार पत्र में विज्ञप्ति भर्ती विज्ञप्ति की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करें।

4. उक्त रितु रानी पुत्री श्री ओमप्रकाश गोयल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 05, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रेरक/साक्षरता सहायक के पद नियुक्ति हेतु आवेदित आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न समसत दस्तावेज की प्रतिलिपियां प्रदान करें

5. उक्त रितु रानी पुत्री श्री ओमप्रकाश गोयल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 05, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत मन्नीवाली तहसील सादुलशहर में उक्त प्रेरक/साक्षरता सहायक के पद पर नियुक्ति की जून 2010 से जुलाई 2012 तक कार्यरत रहते उपस्थिति पंजिका के प्रत्येक पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान करें।

6. कृपया आपके विभाग के समक्ष प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम व पता से सम्बन्धित सूचना प्रदान करें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/570 दिनांक 19.03.2020 से टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड भिजवाने हेतु लिखा गया था, जो आज दिनांक अप्राप्त है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध लोक सूचना अधिकारी एवं जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर से है और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है

चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है और प्रार्थी चाहे तो वह लोक सूचना अधिकारी एवं जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर के सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर